मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन की घोषणा

चर्चा में क्यों?

9 अक्तूबर, 2023 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मध्य प्रदेश में निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन के कार्यक्रम अनुसार 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी।
- निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्तूबर को जारी होगी और 30 अक्तूबर तक नामांकन पत्र जमा किये जा सकेंगे। आवेदनों की संवीक्षा 31 अक्तूबर को होगी और 2 नवंबर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हज़ार 925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हज़ार 607, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हज़ार 945 है। थर्ड जेंडर मतदाता एक हज़ार 373 है।
- प्रदेश में 64 हज़ार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16 हज़ार 763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47 हज़ार 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर शौचालय, रैंप, व्हील चेयर, पानी, हेल्पडेस्क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) मतदाताओं के लिये मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा (पोस्टल बैलेट) दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित सी-विजिल ऐप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किये जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/announcement-of-madhya-pradesh-assembly-elections